

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 442]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 अगस्त 2010—भाद्र 9, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. एफ-ए 3-24-2009-1-पांच (74).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् प्रवेश कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से पूर्णतः छूट देती है:—

अनुसूची

माल का वर्ग (1)	निर्बन्धन तथा शर्तें, जिनके अध्वधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है (3)
प्रवेश कर अधिनियम से संलग्न अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट माल	जब कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल प्रवेश कर अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के दायित्वाधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में विक्रय हेतु प्रविष्ट किया जाता है और ऐसे माल का मेसर्स रिलायंस सीमेन्टेशन लिमिटेड, इकाई-1, सममानिया, मैहर, जिला सतना को, संलग्न प्ररूप में इस आशय की घोषणा पर तदनुसार विक्रय किया जाता है कि क्रय किया जा रहा माल क्रेता द्वारा उसकी औद्योगिक इकाई जो मैहर, जिला सतना में स्थापित की जा रही है और औद्योगिक इकाई-1 में, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है, अन्य माल के विनिर्माण में आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग के लिए आशयित है.

परिशिष्ट
घोषणा का प्ररूप

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक के अधीन)

मैं, मेसर्स रिलायंस सीमेन्टेशन लिमिटेड, इकाई-1 सगमानिया, मैहर, जिला सतना, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक (टिन) का धारक, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूँ कि मैंने श्री (विक्रेता का नाम) जो उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक (टिन) के धारक हूँ, से वह माल, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, क्रय किया है और उक्त माल मेरे द्वारा, मेरी औद्योगिक इकाई में, जो मेसर्स रिलायंस सीमेन्टेशन लिमिटेड, इकाई-1 के नाम से सगमानिया, मैहर, जिला सतना में स्थापित की जा रही है, अन्य माल के विनिर्माण में आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग के लिए आशयित है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि,—

- (एक) औद्योगिक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है।
- (दो) आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग के लिए क्रय किया गया माल उक्त अधिनियम के अधीन मेरे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट है, और
- (तीन) मेरा उपरोक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र उपरोक्त माल क्रय की तारीख को प्रवृत्त था।

क्रय किए गए माल का विवरण

*क्रय आदेश का विवरण/बिल/ बीजक/केशमेमों/चालान क्र. तारीख (1)	क्रय किए गए माल का वर्णन (2)	मात्रा (3)	मूल्य (रुपये में) (4)
योग			

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये (शब्दों में) रुपये मात्र.

तारीख :

व्यापारी के हस्ताक्षर

स्थान :

* जो लागू न हो उसे काट दें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. एफ-ए-3-24-2009-1-पांच (74).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-24-2009-1-पांच (74), दिनांक 31 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st August 2010

No. FA-3-24-2009-1-V(74).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Entry Tax Act), the State Government, hereby exempts in whole the class of goods specified in column (1) of the Schedule below, from payment of the entry tax under the said Act, subject to the restrictions and conditions specified in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

Class of Goods (1)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (2)
Goods specified in Schedule-II appended to the Entry Tax Act.	When the goods specified in column (1) are entered into a local area by a registered dealer, liable to pay tax under the Entry Tax Act for sale and such goods are accordingly sold to M/s. Reliance Cementation Limited, Unit 1, Sagmania, Maihar, District Satna against a declaration in the appended from to the effect that the goods being purchased are intended for use as incidental goods in the manufacture of other goods by the purchaser in his industrial unit which is being established in Maihar, District Satna and the commercial production in the industrial unit has not commenced.

**Appendix
Form of Declaration**

(Under Commercial Tax Department Notification No. dated)

I, M/S, Reliance Cementation, limited Unit 1, Sagmania, Maihar, District Satna holding registration certificate No. (TIN) under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, hereby declare that I have purchased the goods particulars of which have been given below from (Name of the seller) holding registration certificate No. (TIN) under the said Act and the said goods are intended for use as incidental goods in the manufacture of other goods by me in my industrial unit under the name M/s. Reliance Cementation Limited, Unit 1 being established at Sagmania, Maihar in District Satna.

I further declare that,—

- (i) the commercial production in the industrial unit has not commenced;
- (ii) the goods purchased for use as incidental goods are specified in my registration certificate under the said Act, and
- (iii) my aforesaid registration certificate was in force on the date of the aforesaid purchase of goods.

Particulars of goods purchased

* Particulars of purchase order/ bill/invoice/cash memo/challan No. Dt. (1)	Description of goods Purchased (2)	Quantity (3)	Value (in rupees) (4)
Total . . .			

Total value (in figures) Rs. (in words) Rs. only.

Date :
Place :

Signature of the dealer

* Strike out which is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. एफ-ए 3-24-2009-1-पांच (75).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् प्रवेश कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन प्रवेश कर के भूगतान से पूर्णतः छूट देती है:—

अनुसूची

माल का वर्ग (1)	निर्बन्धन तथा शर्तें, जिनके अध्वधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है (3)
प्रवेश कर अधिनियम से संलग्न अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट माल.	जब कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल प्रवेश कर अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के दायित्वाधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में विक्रय हेतु प्रविष्ट किया जाता है और ऐसे माल का मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बरगवां, जिला सिंगरौली को, संलग्न प्ररूप में इस आशय की घोषणा पर तदनुसार विक्रय किया जाता है कि क्रय किया जा रहा माल क्रेता द्वारा उसकी औद्योगिक इकाई जो बरगवां, जिला सिंगरौली में स्थापित की जा रही है और औद्योगिक इकाई में, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है, अन्य माल के विनिर्माण में आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग के लिए आशयित है.

परिशिष्ट

घोषणा का प्ररूप

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक के अधीन)

मैं, मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बरगवां, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक (टिन) का धारक, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूं कि मैंने श्री (विक्रेता का नाम) जो उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक (टिन) के धारक हैं, से वह माल, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, क्रय किया है और उक्त माल मेरे द्वारा, मेरी औद्योगिक इकाई में, जो हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज के नाम से सिंगरौली जिले में, बरगवां में स्थापित की जा रही है, अन्य माल के विनिर्माण में आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग के लिए आशयित है.

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि,—

(एक) औद्योगिक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है.

- (दो) आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग के लिए क्रय किया गया माल उक्त अधिनियम के अधीन मेरे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट है, और
 (तीन) मेरा उपरोक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र उपरोक्त माल क्रय की तारीख को प्रवृत्त था.

क्रय किए गए माल का विवरण

*क्रय आदेश का विवरण/बिल/ बीजक/केशमेमो/चालान क्र. तारीख	क्रय किए गए माल का विवरण	मात्रा	मूल्य (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)

योग . .

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये (शब्दों में) रुपये मात्र.

तारीख :

व्यापारी के हस्ताक्षर

स्थान :

* जो लागू न हो उसे काट दें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. एफ-ए-3-24-2009-1-पांच (75).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-24-2009-1-पांच (75), दिनांक 31 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st August 2010

No. F.A-3-24-2009-1-V(75).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), (hereinafter referred to as the Entry Tax Act), the State Government, hereby exempts in whole the class of goods specified in column (1) of the Schedule below, from payment of the entry tax under the said Act, subject to the restrictions and conditions specified in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

Class of Goods (1)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (2)
Goods specified in Schedule-II appended to the Entry Tax Act.	When the goods specified in column (1) are entered into a local area by a registered dealer, liable to pay tax under the Entry Tax Act for sale and such goods are accordingly sold to

(1)

(2)

M/s. Hindalco Industries Limited, Bargawan, District Singrauli against a declaration in the appended form to the effect that the goods being purchased are intended for use as incidental goods in the manufacture of other goods by the purchaser in his industrial unit which is being established in Bargawan, District Singrauli and the commercial production in the industrial unit has not commenced.

**Appendix
Form of Declaration**

(Under commercial Taxes Department Notification No. dated)

I, M/S, Hindalco Industries Limited, Bargawan, District Singrauli holding registration certificate No. (TIN) under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, hereby declare that I have purchased the goods particulars of which have been given below from (Name of the seller) holding registration certificate No. (TIN) under the said Act and the said goods are intended for use as incidental goods in the manufacture of other goods by me in my industrial unit under the name Hindalco Industries Limited being established at Bargawan in District Singrauli.

I further declare that,—

- (i) the commercial production in the industrial unit has not commenced;
- (ii) the goods purchased for use as incidental goods are specified in my registration certificate under the said Act, and
- (iii) my aforesaid registration certificate was in force on the date of the aforesaid purchase of goods.

Particulars of goods purchased

* Particulars of purchase order/ bill/invoice/cash memo/challan No. Dt.	Description of goods Purchased	Quantity	Value (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)

Total . .

Total value (in figures) Rs. (in words) Rs. only.

Date :
Place :

Signature of the dealer

* Strike out which is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. एफ-ए 3-24-2009-1-पांच (76).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में स्थित डायमंड की कटिंग और पालिश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को, औद्योगिक इकाई में उपयोग या उपभोग हेतु क्रय किए गए कच्चे माल या आनुषंगिक माल की बाबत, 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2012 तक की कालावधि के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है.

2. इस अधिसूचना के अधीन छूट इस शर्त के अधधीन रहते हुए होगी कि यदि उक्त कालावधि से संबंधित प्रवेश कर की रकम कोषालय में जमा कर दी गई है, तो ऐसी रकम वापस नहीं की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. एफ-ए-3-24-2009-1-पांच (76).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-24-2009-1-पांच (76), दिनांक 31 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st August 2010

No. FA-3-24-2009-1-V(76).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts diamond cutting and polishing industrial units situated in the State of Madhya Pradesh, from payment of entry tax under the said Act, in respect of raw materials or incidental Goods purchase for use or consumption in the industrial unit, for the period from 1st April, 2010 to 31st March, 2012.

2. The exemption under this notification shall be subject to the condition that if the amount of entry tax pertaining to the said period has been deposited in the treasury, such amount shall not be refunded.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
R. K. YADAV, Addl. Secy.